न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 63 / 2017 / राजस्व वाद

उनवान

1. उदयराम पि. तेजराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिडावा
2. जगन्नाथ पि. तेजराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. निर्भयसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
2. जरसुसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
3. कालूसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
4. बनेसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
5. बहादूरसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
6. कालूसिंह पि. किशोरसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री विनोद जैन

निर्णय दिनांक : 14/12/2020

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 11 की आराजी ख.नं. 671 / 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 की आराजी ख.नं. 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण खातेदारी की है जिसमें प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर पश्चिमी मेड पर नया रास्ता कायम करने की कोशिश कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण का रास्ता वादीगण की आराजी में से होकर कभी नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का सनातनी रास्ता ग्राम बोरदा से ग्राम छोडी जाने वाले आम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(5)

रास्ते से होकर ख.नं. 292 की पश्चिमी मेड से जाता है जिसका प्रतिवादीगण उपयोग करते आ रहे है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 19.07.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी की पश्चिम मेड पर निकलने की कोशिश की। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम बोरदा की की आराजी ख.नं. 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं ख.नं. 671/281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि की पश्चिमी मेड पर होकर नया रास्ता कायम नहीं करे।

वाद पत्र के साथ ग्राम बोरदा की जमाबंदी सं. 2072–75 खाता सं. 11 , 57 की प्रमाणित नकल , नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी की नकल पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री विनोद जैन ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार किया एवं विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि वादीगण ने गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण का सनातनी रास्ता वादीगण की भूमि की पश्चिमी मेड पर होकर है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग वादीगण , प्रतिादीगण एवं अन्य खातेदार करते है। प्रतिवादीगण अपने खते ख.नं. 294 , 293 पर सदैव से ही ख.नं. 280 व 281 के बीच से होकर गुजरता है। वादीगण ने इस दावे की आड में नया रास्ता कायम करना बताया जबकि उक्त रास्ता सनातनी चला आ रहा है। दावे की आड में प्रतिवादीगण का रास्ता रोके जाने पर प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति होगी सुविधा का संतुलन एवं प्राइमाफेसी केस प्रतिवादीगण के पक्ष में है। इसलिये वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई।

वाद पत्र , जवाब दावा , राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 11 की आराजी ख.नं. 671/281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 की आराजी ख.नं. 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई दखल अन्दाजी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज़०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(6)

अत प्रस्तुत वाद वादीगण डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 11 की आराजी ख.नं. 671/281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 की आराजी ख.नं. 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण कोई दखल अन्दाजी नहीं करे। यदि रास्ता सनातनी हो एवं अवरूद्ध हो तो तहसीलदार पिडावा खुलासा करावे। पक्षकार नया रास्ता कायमी हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते है।

पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(7)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 63 / 2017 / राजस्व वाद

उनवान

1 उदयराम पि. तेजराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिडावा

2 जगन्नाथ पि. तेजराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1 निर्भयसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा

2 जरसुसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

3 कालूसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा

4 बनेसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा

5 बहादूरसिंह पि. रूपसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा

6 कालूसिंह पि. किशोरसिंह जाति राठौड राजपूत निवासी बोरदा तहसील पिडावा

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री विनोद जैन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रस्तुत वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता स. 11 की आराजी ख.नं. 671 / 281 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 की आराजी ख.नं. 281 रकवा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण कोई दखल अन्दाजी नहीं करे। यदि रास्ता सनातनी हो एवं अवरूद्ध हो तो तहसीलदार पिडावा खुलासा करावे। पक्षकार नया रास्ता कायमी हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(8)

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह .... सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-12-2020 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner